

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

आरक्षित: 3 मार्च, 2014

निर्णीत: 25 मार्च, 2014

आप.अ. 89/2009

राजेश गुप्ता

.....अपीलकर्ता

के माध्यम से: वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद के.
निगम के साथ अधिवक्तागण श्री
सुभिक्ष वासुदेव, श्री अभिषेक सिंह,
श्री अतुल टी. एन।

बनाम

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के माध्यम से राज्य

.....प्रत्यर्थी

के माध्यम से: विशेष लोक अभियोजक श्री नरेंद्र
मान के साथ अधिवक्तागण श्री
मनोज पंत और सुश्री उत्कर्षा
कोहली।

कोरम: न्यायमूर्ति एस. मुरलिधर

निर्णय

25.03.2014

1. यह अपील विशेष न्यायाधीश, केंद्रीय जिला-02, दिल्ली द्वारा सीसी सं.
195/01 में पारित निर्णय दिनांक 24 जनवरी 2009 के खिलाफ निर्देशित है,
जिसमें अपीलकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ("पीसी
अधिनियम") की धारा 13 (1) (घ) के साथ पठित धारा 7 और 13 (2) के

तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और 27 जनवरी 2009 की सजा पर आदेश जिसके तहत पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए, अपीलकर्ता को 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ दो साल के कठोर कारावास ("क.का.") की सजा सुनाई गई थी और जुर्माना अदा न करने पर 30 दिन का अतिरिक्त सादा कारावास ('सा.का.') और पीसी अधिनियम की धारा 13 (2) के साथ धारा 13 (1) (घ) के तहत अपराध के लिए ढाई साल का कठोर कारावास और 15,000 रुपये का जुर्माना व जुर्माना अदा न करने पर 30 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएँ एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया। अपील स्वीकार करते हुए दिनांक 4 फरवरी 2009 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को दी गई सजा को निलंबित कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष का मामला

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि श्रीमती मधु बाला, शिकायतकर्ता (अभि.सा.-3) सी-4/67, एसडीए, नई दिल्ली में मेसर्स इयूरो पैक के नाम और शैली के तहत पैकिंग, शिपिंग और एक ट्रेवल एजेंसी का व्यवसाय चला रही थीं और नियमित रूप से अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर रही थीं। कर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए उनके द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न अपीलकर्ता, जो कि सहायक आयकर आयुक्त („एसीआईटी”), सर्किल 20(1) थे, के पास जांच के अधीन था। अपीलकर्ता का कार्यालय कमरा सं.163, सी.आर. बिल्डिंग, आईटीओ दिल्ली में था। दिनांक 7 मार्च 2000 को अभि.सा.-3 ने

अपीलकर्ता से मुलाकात की ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसके द्वारा दाखिल आईटीआर के लिए क्या कोई अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। अभि.सा.-3 के अनुसार, अपीलकर्ता ने उसके मामले को निपटाने के लिए उससे 75,000 रुपये की रिश्वत मांगी। उसके बार-बार अनुरोध करने पर रिश्वत की राशि घटाकर 50,000 रुपये कर दी गई और अपीलकर्ता ने उसे बताया कि वह एक या दो दिन में उसे इसकी जानकारी दे देगा। माना जाता है कि अभि.सा.-3 ने भुगतान के लिए कुछ समय मांगा था क्योंकि यह एक बड़ी राशि थी। हालाँकि, अभि.सा.-3 कोई रिश्वत नहीं देना चाहता था और इस प्रकार उसने दिनांक 9 मार्च 2000 को केंद्रीय जाँच अन्वेषण ब्यूरो(सीबीआई), भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) में शिकायत दर्ज कराई।

3. अभियोजन पक्ष का आगे का मामला यह है कि लगभग 10:30 बजे, अभि.सा.-3 ने पुलिस अधीक्षक (एसपी), सीबीआई, एसीबी को अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत की कथित मांग के बारे में मौखिक शिकायत दी। एसपी ने निरीक्षक आजाद सिंह (अभि.सा.-12) को शिकायत की वास्तविकता की जांच करने का निर्देश दिया। अभि.सा.-12 ने दो स्वतंत्र गवाहों जो कि दोनों संपदा निदेशालय, नई दिल्ली से थे, अर्थात् श्री वी.एस. चौहान, बेदखली निरीक्षक (अभि.सा.-5) और श्री वीरेन्द्र प्रसाद, अधीक्षक (अभि.सा.-4) की उपस्थिति में ऑडियो कैसेट की व्यवस्था करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह रिक्त है, अभि.सा.-3 द्वारा अपीलकर्ता से टेलीफोन सं. 3316392 (आई.टी.ओ.

के) पर टेलीफोन सं. 4362460 से की गई बातचीत को रिकार्ड किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बातचीत से पता चला कि अभि.सा.-3 ने बार-बार अपीलकर्ता से रिश्वत की राशि कम करने का अनुरोध किया था और अपीलकर्ता ने उससे कहा था कि वह शाम 4 बजे आकर, उस समय तक जो भी राशि एकत्र हो जाए, उसे दे दे। मूल कैसेट को सील कर दिया गया था। टेलीफोन पर हुई बातचीत का एक मेमो (प्र.अभि.-3/ए) तैयार किया गया था। बताया जाता है कि बातचीत सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और 11:45 बजे खत्म हुई।

4. इसके बाद अपीलकर्ता के लिए जाल बिछाने का निर्णय लिया गया। अभि.सा.-3 ने एक लिखित शिकायत (प्र.अभि.-3/बी) प्रस्तुत की, जिसके आधार पर सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किया गया और जाल बिछाने का काम अभि.सा.-12 को सौंपा गया। अभि.सा.-4 और अभि.सा.-5 के साथ सीबीआई अधिकारियों की एक ट्रेप टीम गठित की गई। अभि.सा.-3 ने 100 रुपये के सौ सरकारी मुद्रा (जी.सी.) नोटों और 50 रुपये के सौ जी.सी. नोटों के रूप में 15,000 रुपये प्रस्तुत किए। नोटों की क्रम संख्या को हस्तांतरण जापन के अनुलग्नक में नोट कर लिया गया था (प्र.अभि.-3/सी और 3/सी-1)। जी.सी. नोट्स पर अभि.सा.-12 द्वारा फिनोलफथेलिन पाउडर लगाया गया तथा अभि.सा.-4 के माध्यम से व्यावहारिक प्रदर्शन दिया गया।

5. चिन्हित जी.सी. नोट अभि.सा.-3 के हैंडबैग में रखे गए थे। अभि.सा.-3 को निर्देश दिए गए थे कि उसे चिन्हित जी.सी. नोट्स अपीलकर्ता को केवल विशेष

मांग पर ही सौंपना था; उसे अभि.सा.-5 को अपने साथ ले जाना था, ताकि अभि.सा.-5 रिश्वत का लेन-देन पूरा होने के दौरान अभि.सा.-3 और अपीलकर्ता के बीच बातचीत को देख और सुन सके। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि अपीलकर्ता के कमरे में प्रवेश करने से पहले माइक्रो कैसेट रिकॉर्डर (एमसीआर) चालू कर दें। अभि.सा.-3 और 5 को निर्देश दिया गया कि जब लेन-देन पूरा हो जाए तो वे अपना सिर खुजाकर ट्रैप टीम को संकेत दें। इसके अलावा, अपीलकर्ता और अभि.सा.-3 के बीच होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए अभि.सा.-5 को एक स्वचालित ट्रांसमीटर-सह रिकॉर्डर (टीसीआर) दिया गया था। इसके बाद ट्रैप टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई।

6. मौका वारदाद पर पहुंचकर अभि.सा.-3 ने अपने चपरासी श्री बिहारीलाल (अभि.सा.-13) के माध्यम से अपीलकर्ता को एक पत्र भेजा। हालांकि, अपीलकर्ता ने केवल अभि.सा.3 को ही कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दी। नतीजतन, अभि.सा.-5 दरवाजे पर ही इंतजार करता रहा। शाम करीब 4:40 बजे, अभि.सा.-3 अपीलकर्ता के कमरे से बाहर आया और ट्रैप टीम को पहले से तय संकेत दिया। इसके बाद अभि.सा.-12, अभि.सा.-4, अभि.सा.-5 और अभि.सा.-3 सहित टीम के अन्य सदस्यों के साथ अपीलकर्ता के कमरे में घुस गया। उन्हें अपीलकर्ता के अलावा दो अन्य व्यक्ति भी मिले। उनकी पहचान श्री टी. किपगेन, एसीआईटी (अभि.सा.-10) और श्री एन.सी. स्वैन, डीसीआईटी (अभि.सा.-6) के रूप में बताई गई। अपीलकर्ता के कमरे को लकड़ी के विभाजन

से अलग किया गया था, जिसके अंत में आगंतुकों की कुर्सियाँ थीं। अभि.सा.-12 ने अपीलकर्ता को चुनौती दी कि वह बताए कि क्या उसने अभि.सा.-3 से 15,000 रुपये की रिश्वत माँगी थी और स्वीकार की थी। अपीलकर्ता ने इससे इनकार किया। इस बीच, श्री विवेक धीर, निरीक्षक और अभि.सा.-12 ने अपीलकर्ता की दाईं और बाईं कलाई पकड़ ली।

7. अभि.सा.-3 ने अभि.सा.-12 को बताया कि बातचीत के दौरान उसने अपीलकर्ता को बताया कि वह रिश्वत की राशि में से केवल 15,000 रुपये का ही प्रबंध कर सकती है। इसके बाद, अभि.सा.-3 के अनुसार, अपीलार्थी ने अपने तरफ पर पड़े पैड से एक नोट पत्र का कागज फाड़ा और उसके बाईं ओर अभि.सा.-3 के सामने उसकी दाईं ओर रख दिया। ऐसा कहा जाता है कि अपीलकर्ता ने आंखों के इशारे से तथा सिर हिलाकर अभि.सा.-3 को रिश्वत की रकम फटे हुए नोटपत्र कागज पर रखने के लिए कहा था। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्य करते हुए, अभि.सा.-3 ने अपने बैग से रिश्वत की राशि निकाली और उसे नोटपत्र पर रख लिया। इस पर अपीलकर्ता ने तुरंत फटे नोटपत्र को मोड़ा और अपने दोनों हाथों से उसे नीले रंग के डाक फोल्डर से ढक दिया। अभि.सा.-3 ने आगे बताया कि अपीलकर्ता ने उसे शेष राशि यथाशीघ्र स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से चुकाने का निर्देश दिया था।

8. ट्रेप टीम स्पष्ट रूप से उस रिश्वत राशि का पता नहीं लगा सकी जो अभि.सा.-3 द्वारा अपीलकर्ता को दी गई थी। अभि.सा.-3 ने बताया कि रिश्वत

की राशि कहाँ रखी गई थी, अर्थात् डाक फोल्डर के नीचे मेज पर। अभि.सा.-12 के निर्देशों पर कार्य करते हुए, अभि.सा.-5 ने डाक फोल्डर को उठाया और आंशिक रूप से मुड़ी हुई नोटपत्र में चिन्हित जी.सी. नोट देखे गए। घटनास्थल को सुरक्षित करने के बाद सीएफएसएल से फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ और फोटोग्राफर की मांग की गई।

9. एक साफ कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार किया गया। अपीलकर्ता ने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को रंगहीन घोल में धोया लेकिन घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। वॉश को एक साफ कांच के गिलास में डाला गया और सील करके एलएचडब्लू के रूप में चिह्नित किया गया। इस पर अभि.सा.-4 और अभि.सा.-5 दोनों के हस्ताक्षर थे। इसी तरह, राइट हैंड वॉश (आरएचडब्ल्यू) भी प्राप्त किया गया। यह वॉश भी गुलाबी नहीं हुआ। अभि.सा.-4 को दिया गया टीसीआर वापस ले लिया गया। अपीलकर्ता और अभि.सा.-3 के बीच कथित बातचीत वाले कैसेट को फिर से सुना गया। फिर कैसेट को सीबीआई की मुहर लगाकर सील कर दिया गया।

10. शाम करीब 6 बजे, श्री एस.के. चड्ढा, एसएसओ-II, फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ और श्री राजेश बिष्ट, एसएसए, सीएफएसएल के फोटोग्राफ डिवीजन, घटनास्थल पर पहुंचे। बताया जाता है कि श्री एस.के. चड्ढा ने चिन्हित जी.सी. नोटों को उठाया और उन्हें अभि.सा.-5 को सौंप दिया। इसके बाद अभि.सा. -4 और 5 ने उक्त जी.सी. नोटों की संख्याओं की तुलना हस्तांतरण ज्ञापन (प्र.अभि.सा. -

3/सी) में उल्लिखित संख्याओं से की और पाया कि वे मेल खा रही थीं। जिस नोट पत्र के कागज में जी.सी. नोट लपेटे गए थे, उसे सोडियम कार्बोनेट के घोल में धोया गया, जिसके बाद उसका रंग गुलाबी हो गया और उसे सील कर दिया गया तथा उस पर एन.एस.पी.डब्लू. अंकित कर दिया गया। इसी तरह, रूई के टुकड़े की मदद से डार्क पैड की धुलाई भी की गई। सोडियम कार्बोनेट का घोल अपरिवर्तित रहा। धुलाई को दूसरे कांच के गिलास में डाला गया, सील किया गया और एफडब्लू के रूप में चिह्नित किया गया। कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल की गई रूई को एक लिफाफे में बंद कर दिया गया था। चिह्नित पैसे को लपेटने के लिए इस्तेमाल किए गए कागज के फटे हुए टुकड़े को नोट पत्र और डार्क पैड के साथ एक लिफाफे में रखकर सील कर दिया गया था।

11. अपीलकर्ता के कार्यालय की तलाशी में, कार्यालय की अलमारी से अभि.सा.-3 की आईटीआर से संबंधित फाइल बरामद की गई। अपराध स्थल का एक मोटा-मोटा घटना स्थल नक्शा तैयार किया गया। सीलिंग के लिए इस्तेमाल की गई सीबीआई की सील अभि.सा.-4 को सौंप दी गई और सभी केस संपत्तियों को कब्जे में ले लिया गया।

12. सीएफएसएल की तीन परीक्षण रिपोर्टें थीं। दिनांक 2 मई 2000 को रासायनिक प्रभाग (प्र.अभि.सा.-2/A) की रिपोर्ट ने प्रमाणित किया कि दाहिने हाथ की धुलाई, बाएं हाथ की धुलाई, उंगली धोने ("एफडब्ल्यू") और नोट पत्र पेपर वॉश ने फेनोल्फथेलिन और सोडियम कार्बोनेट के लिए सकारात्मक परीक्षण

दिया। रूई के टुकड़े („पीसीΠ) की धुलाई से केवल फिनोलफथेलिन के लिए सकारात्मक परीक्षण प्राप्त हुआ। सीएफएसएल की रासायनिक रिपोर्ट की विस्तृत कार्यपत्रिका में सभी चार धुलाई का विश्लेषण संलग्न है।

13. सीएफएसएल के भौतिक प्रभाग की रिपोर्ट (प्र.अभि.-8/ए) सफेद नोट पत्र के फटे हुए टुकड़े (प्र. 1/ए) पर उंगलियों के निशान के संबंध में थी और यह भी कि क्या यह कागज के शेष पत्र (प्र. 1/बी) से मेल खाता था। रिपोर्ट ने पुष्टि की कि ऐसा हुआ था और दोनों हिस्से “एक ही कागज़” के हिस्से थे। सीएफएसएल विशेषज्ञ श्री सी.के. जैन (अभि.सा.-8) ने दिनांक 25 मई 2000 की अपनी रिपोर्ट में कहा कि नोटपत्र, जिसका एक कोना फटा हुआ था, कागज के दूसरे हिस्से से भौतिक रूप से मेल खाती है।

14. सीएफएसएल (प्र.अभि.सा.-11/डीए) के फिंगर प्रिंट डिवीजन की रिपोर्ट में क्यू-1 से क्यू-12 तक के निशान थे, जिनमें रिश्वत की राशि वाले फटे नोटपत्र के दो प्रिंट क्यू-1 और क्यू-2 शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया कि क्यू-2 के रूप में चिह्नित निशान अपीलकर्ता के नमूना अंगुलियों के निशानों से भिन्न थे, जिन्हें एस-1 से एस-5 तक चिह्नित किया गया था। हालाँकि, मेज पर पड़ी तीसरी नोटपत्र में अपीलकर्ता के उंगलियों के निशान पाए गए।

15. राजस्व विभाग के अवर सचिव ने दिनांक 24 सितम्बर 2001 (प्र.अभि.सा.-1/ए) के आदेश पारित कर अपीलकर्ता के विरुद्ध पीसी अधिनियम

की धारा 19 (1) (ग) के तहत धारा 7 और 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1) (घ) के तहत अपराध के लिए अभियोजन चलाने की मंजूरी दी। तदनुसार आरोप पत्र दाखिल किया गया। 2 जनवरी 2003 को आरोप तय करने का आदेश पारित किया गया और विचारण शुरू हुआ।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता का बयान

16. अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों की जांच की। धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत अपने बयान में, अपीलकर्ता ने स्वीकार किया कि मार्च 2000 के दौरान एसीआईटी के रूप में काम करते समय, अभि.सा.-3 के आयकर मूल्यांकन मामले की जांच उनके पास लंबित थी। उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि दिनांक 9 मार्च 2000 को अभि.सा.-3 ने एक चपरासी के माध्यम से उन्हें एक पत्र भेजा था, जिस पर उनका नाम लिखा था और उन्होंने उसे अपने कक्ष में बुलाया था। उन्होंने यह बात सही मानी कि जब अभि.सा.-3 उनके कार्यालय में दाखिल हुई तो उसने पाया कि जिस स्थान पर वह बैठे थे, उसके दूसरी ओर एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि उन्हें अभि.सा.-3 द्वारा कोई संकेत दिए जाने के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन दो-तीन व्यक्ति चैंबर के अंदर आए और बताया कि वे सीबीआई अधिकारी हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि निरीक्षक ए.के. सिंह और विवेक धीर ने उन्हें पकड़ लिया था और टी.एल.ओ. आजाद सिंह (अभि.सा.-12) ने अपीलकर्ता को चुनौती दी थी कि उसने अभि.सा.-3 से 15,000 रुपए मांगे और स्वीकार किए।

हालांकि, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि स्वतंत्र शैडो गवाह वी.एस. चौहान (अभि.सा.-5) ने अभि.सा.-12 के निर्देश पर डाक पैड को हटाया था और नोट पत्र में लिपटे 100 रुपये और 50 रुपये मूल्यवर्ग के जी.सी. नोटों के दो बंडल पाए थे। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि हैंड वॉश ले लिए गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बाद क्या हुआ, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि हैंड वॉश का स्थानांतरण और सीलिंग का कार्य उनकी उपस्थिति में नहीं किया गया था।

17. अपीलकर्ता ने इस बात से इंकार किया कि उसने अपना नमूना स्वर देने से मना कर दिया था, परन्तु कहा कि चूंकि उसे पढ़ने के लिए जो लिखित सामग्री दी गई थी, वह आपत्तिजनक थी तथा उसके विरुद्ध उसका दुरुपयोग किया जा सकता था, इसलिए उसने विद्वान महानगरीय दंडाधिकारी से केवल यह अनुरोध किया था कि यदि उसे परिवर्तित सामग्री दी जाती तो वह नमूना स्वर दे देता। उन्होंने दावा किया कि मामला झूठा और जानबूझकर बनाया गया था। उन्होंने अभि.सा.-3 से कोई भी पैसा मांगने या लेने से इनकार किया। जब अपीलकर्ता से पूछा गया कि अभि.सा. ने उसके खिलाफ गवाही क्यों दी, तो उसने निम्नलिखित उत्तर दिया:

“कानून की नज़र में शिकायतकर्ता एक सहयोगी है। विभागीय कार्रवाई के डर से दो पंच गवाहों ने गवाही दी है, इसके अलावा उनमें से एक श्री वी.एस. चौहान स्टॉक गवाह और सीबीआई की पसंद का गवाह है। हैंड वाश की

सीएफएसएल रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है और कानून में स्वीकार्य नहीं है। अन्य गवाह या तो सीबीआई के अपने लोग हैं या वे औपचारिक प्रकृति के हैं।

विचारण न्यायालय का फैसला

18. मंजूरी आदेश (प्र.अभि.सा.-1/ए) की वैधता के मुद्दे पर, विचारण न्यायालय ने माना कि सिर्फ इसलिए कि अभि.सा.-1 ने मंजूरी आदेश के मसौदे से मदद ली थी, यह अपने आप में अवैध नहीं हो जाता। यह स्पष्ट था कि अभि.सा. 1 ने अपने सामने पेश की गई सामग्री पर अपना दिमाग लगाया था।

19. विचारण न्यायालय ने अभि.सा.-3 शिकायतकर्ता, अभि.सा.-5 शैडो गवाह, अभि.सा.-4 बरामदगी गवाह और अभि.सा.-12 जाल बिछाने वाले अधिकारी (ट्रेप लेयिंग ऑफिसर) द्वारा बताई गई जाल-पूर्व कार्यवाही का विश्लेषण किया। विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायत में अभि.सा.-3 ने अपीलकर्ता द्वारा उससे दिनांक 7 मार्च 2000 को रिश्वत की मांग करने के साथ-साथ दिनांक 9 मार्च 2000 को भी उल्लेख किया था, जब उसके द्वारा सीबीआई कार्यालय से फोन किया गया था। यह माना गया कि अभि.सा. 3 को शिकायत में सभी सूक्ष्म विवरणों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। अभि.सा.-3 ने पूर्व-परीक्षण कार्यवाही को साबित कर दिया था, अर्थात् मौखिक शिकायत दर्ज करना, उसका सत्यापन करना, लिखित शिकायत दर्ज करना, सीबीआई कार्यालय में 15,000 रुपये की प्रस्तुति, जी.सी. नोटों पर फिनोलफथेलिन पाउडर लगाना, जैसा कि हस्तांतरण ज्ञापन प्र.अभि.सा.-3/सी में

दर्ज किया गया था। इसकी पुष्टि अभि.सा.-5 ने की। उन्होंने टेलीफोन पर बातचीत के ज़ापन प्र.अभि.सा.-3/ए के साथ-साथ चिन्हित जीसी नोट्स को भी साबित किया था। अभि.सा.-4 ने पुष्टि की कि अभि.सा.-3, अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत की मांग और रिश्वत के बारे में शिकायत लेकर सीबीआई कार्यालय आया था, उसने 100 और 50 रुपये के जी.सी. नोटों को 15,000 रुपये की राशि में प्रयोग किया; नोटों पर फिनोलफथलीन लगाया गया; व्यावहारिक प्रदर्शन दिया गया; अभि.सा.-3 को सीबीआई कार्यालय से टेलीफोन पर अपीलकर्ता से संपर्क करने के लिए कहा गया और मुलाकात का समय अपराह्न 3 या 4 बजे निर्धारित किया गया। जाल बिछाओ कार्यवाही की पुष्टि अभि.सा.-12 द्वारा भी की गई।

20. रिश्वत की राशि की मांग, स्वीकृति और वसूली के संबंध में, विचारण न्यायालय ने अभि.सा.-3 के साक्ष्य का विश्लेषण किया। यह अभि.सा.-3 ही था जिसने सुझाव दिया था कि महिला कांस्टेबल बबीता कपूर और पंच गवाहों को अपीलकर्ता के कमरे के अंदर उसके साथ नहीं जाना चाहिए। अभि.सा.-3 ने बताया कि उसके पास जो एमसीआर था, उसे वह चला नहीं कर सकती थी। हालांकि, चूंकि टीसीआर चालू था, इसलिए बातचीत बाहर रिकॉर्ड की जा सकती थी, लेकिन यह सुनाई नहीं दे रही थी। अभि.सा.-3 ने पुष्टि की कि चिन्हित नोट अपीलकर्ता से नहीं, बल्कि घटनास्थल की ओर इशारा करते हुए उसकी मेज से बरामद किए गए थे। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने बड़ी

चतुराई से फाइल के नीचे चिन्हित नोट छिपा दिए थे और अपीलकर्ता ने न तो रिश्वत मांगी थी और न ही स्वीकार की थी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने अपने जांच मामले में आयकर अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों से छुटकारा पाने के लिए सीबीआई में अपने परिचित के माध्यम से अपीलकर्ता को झूठा फंसाया था।

21. अभि.सा.-5 ने पुष्टि की कि अभि.सा.-3 ने अपीलकर्ता के कमरे के बाहर चपरासी को अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। अभि.सा.-5 के अंदर जाने से पहले ही चपरासी ने उसे रोक दिया और वह एक सीबीआई अधिकारी के साथ अपीलकर्ता के कार्यालय के बाहर कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद जब अभि.सा.-3 बाहर आया और उसने इशारा किया तो ट्रैप टीम के सभी सदस्य एक जगह एकत्र हुए और कमरे के अंदर पहुंचे। उन्होंने पुष्टि की कि अभि.सा.-3 के इशारा करने पर नोटपत्र में एक डाक पैड के नीचे से चिन्हित नोट बरामद हुए। अभि.सा.-5 ने पुष्टि की कि नोट छापे से पहले की कार्यवाही में दर्ज किए गए नोटों के समान थे। उन्होंने पुष्टि की कि अपीलकर्ता के हाथ अलग घोल में धुलवाए गए थे, लेकिन रंग नहीं बदला और घोल को बोतलों में डाला गया और लेबल लगाया गया। उन्होंने मौके पर ही वसूली ज़ापन (प्र.अभि.सा.-3/ई) तैयार करने तथा उस पर अपने हस्ताक्षर करने की पुष्टि की।

22. अभि.सा.-4 ने भी कमोबेश उपरोक्त सभी कथनों की पुष्टि की। प्रतिपरीक्षा के दौरान भी उसे विचलित नहीं किया जा सका। अभियोक्ता 12 के साक्ष्य ने

छापे की कार्यवाही की पूरी तरह पुष्टि की, जैसा कि अभियोक्ता 3, 4 और 5 ने बताया था। अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कहा कि सीएफएसएल विशेषज्ञों के पहुंचने तक घटनास्थल को पुनर्प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं छेड़ा गया था।

23. बचाव पक्ष के अधिवक्ता के इस तर्क के संबंध में कि चूंकि अपीलकर्ता का दाहिना हाथ मौके पर गुलाबी नहीं हुआ था, इसलिए रासायनिक विश्लेषण से फिनोलफथेलिन की उपस्थिति नहीं दिखाई जा सकी, विचारण न्यायालय ने थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी ('टीएलसी') परीक्षण का संदर्भ दिया, जो तब विश्वसनीय था जब रसायनों का कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि टीएलसी परीक्षण, अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि करता है कि अपीलकर्ता, अभि.सा.-3 से उसके द्वारा बताए गए तरीके से उन्हें स्वीकार करते समय चिन्हित जीसी नोट्स के संपर्क में आई थी। यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह संभव नहीं था कि अभि.सा.-3 अपीलकर्ता के मेज पर नोटपत्र पेपर पर पैसा रख सकता था, बिना अपीलकर्ता के ऐसा करने के लिए कहे। अभि.सा.-3 के पास अपीलकर्ता को इतने गंभीर मामले में झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था।

24. तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, विचारण न्यायालय ने दिनांक 24 जनवरी 2009 के आक्षेपित निर्णय में निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत की मांग और स्वीकृति के संबंध में अभि.सा.-3 का बयान सत्य था और उससे विश्वास पैदा हुआ तथा अपीलकर्ता का अपराध सभी संदेहों से परे साबित

हुआ। दिनांक 27 जनवरी 2009 को विचारण न्यायलय द्वारा एक अलग आदेश पारित किया गया, जिसमें अपीलकर्ता को सजा सुनाई गई तथा जुर्माना लगाया गया, जैसा कि इस निर्णय के प्रथम पैरा में उल्लेख किया गया है।

अधिवक्ता की प्रस्तुतियां

25. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद निगम ने कहा कि अभियुक्तों की गवाही में कई विसंगतियां थीं। आरोप का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि यह आरोप लगाया गया था कि दिनांक 7 मार्च 2000 को अपीलकर्ता ने अभि.सा.-3 के आयकर रिटर्न को मंजूरी देने के लिए अवैध रिश्वत के रूप में 75,000 रुपये की मांग की थी। इसके बाद उक्त राशि घटाकर 50,000 रुपये कर दी गई और अंततः दिनांक 9 मार्च 2000 को अपीलकर्ता ने अभि.सा.-3 से 15,000 रुपये की मांग की और उसे स्वीकार कर लिया। अपनी प्रतिपरीक्षा में अभि.सा.-3 ने खुलासा किया कि वह फरवरी 2000 में चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) श्री राजेश जैन के साथ अपीलकर्ता के कार्यालय गई थी और दिनांक 7 मार्च 2000 को अपने कर्मचारी श्री कृष्ण कुमार के साथ दोबारा उसके कार्यालय गई थी। सीए ने कथित तौर पर अभि.सा.-3 से कहा कि चूंकि वह अपीलकर्ता से खुद मिली थी, इसलिए उसे 1 लाख रुपए देने होंगे। श्री निगम ने दलील दी कि शिकायत में उपरोक्त सभी तथ्यों का खुलासा न किए जाने के अलावा, सीए और श्री कृष्ण कुमार से गवाह के रूप में पूछताछ भी

नहीं की गई। इसलिए, उनके अनुसार, आधारभूत तथ्यों की पूरी श्रृंखला सिद्ध नहीं हुई।

26. अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत की मांग के संबंध में साक्ष्य की कमी पर आगे विस्तार से बताते हुए, श्री निगम ने प्रस्तुत किया कि अभियोक्ता 4 और 5 दोनों ने कहा कि दिनांक 9 मार्च 2000 को अभियोक्ता-3 और अपीलकर्ता के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत की कोई मांग नहीं की गई थी। अभि.सा.-3 ने भी माना कि अपीलकर्ता ने किसी भी धनराशि के बारे में कुछ नहीं कहा। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान हर बार अभि.सा.-3 ने ही अलग-अलग रकम का जिक्र किया। इसकी पुष्टि अभि.सा.-12 द्वारा भी की गई। श्री निगम ने **सोहन बनाम हरियाणा राज्य (2001) 3 एस.सी.सी. 620 और नारायण बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर. 1959 एस.सी. 484** के निर्णयों पर भरोसा किया।

27. टेप रिकॉर्डिंग के संबंध में, श्री निगम ने कहा कि चूंकि इसे न्यायालय में नहीं चलाया गया, इसलिए दिनांक 9 मार्च 2000 को अभि.सा.-3 और अपीलकर्ता के बीच हुई टेलीफोनिक बातचीत की प्रतिलिपि पर भरोसा नहीं किया जा सकता। टेप रिकॉर्डिंग ज्ञापन प्र.अभि.सा.-3/डी से प्राप्त अभि.सा.-4 और 5 (प्र.अभि.सा.-3/डी) की आवाज वाली एमसीआर, जब विचारण में चलाई गई तो खाली पाई गई। दूसरा उपकरण, टीसीआर तथा श्रवण-कोर्ड, जो छापे से पूर्व की कार्यवाही के दौरान अभि.सा.-4 के पास था, वास्तव में अभि.सा.-4 या अभि.सा.

-5 के पास नहीं था। इसके अलावा, हालांकि आरोप पत्र के साथ दी गई सामग्री की सूची में दो ऑडियो कैसेट का उल्लेख था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा छह ऑडियो कैसेट तैयार किए गए थे। इनमें से तीन कैसेट कभी प्रस्तुत नहीं किये गये।

28. श्री निगम ने केस प्रॉपर्टी की सुरक्षित अभिरक्षा पर संदेह जताया। उन्होंने कहा कि ऐसी सुरक्षित अभिरक्षा को दर्शाने के लिए कोई लिंक साक्ष्य नहीं है। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा की श्रृंखला स्थापित नहीं की गई है। *निरंजन सिंह बनाम सीबीआई (2013) 203 डीएलटी 635* और *नीलेश दिनकर पराडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 4 एससीसी 143* में दिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए, श्री निगम ने प्रस्तुत किया कि उक्त टेप में दर्ज बातचीत बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं थी।

29. दूसरी ओर सीबीआई के लिए विशेष लोक अभियोजक ("एसपीपी") श्री नरेंद्र मान ने प्रस्तुत किया कि अभि.सा.-3 के सबूत पर्याप्त रूप से पूर्व-छापे टेलीफोन बातचीत को साबित करते हैं। उन्होंने अभि.सा.-3 के बयान का हवाला दिया जिसमें उसने कहा कि कमरे में प्रवेश करने के बाद उसने अपीलकर्ता से कहा कि वह जो कुछ भी लेकर आई है, उसे ले ले और इस पर अपीलकर्ता ने अपने पास पड़े कागज के पन्ने को फाड़ दिया और इशारे से उसे निर्देश दिया कि वह राशि उसमें रख दे। उन्होंने दलील दी कि अभि.सा.-3 के साक्ष्य की पुष्टि पुलिस गवाहों और अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों से हुई है और यह आवश्यक नहीं

है कि उसके बयान के प्रत्येक विवरण की पुष्टि की जाए। श्री मान ने **स्टेट ऑफ यूपी बनाम ज़काउल्लाह 1998 एससीसी (सीआरएल) 456, स्टेट ऑफ यूपी बनाम डॉ. जी.के. घोष (1984) 1 एससीसी 254** और **प्रकाश चंद बनाम राज्य 1979 (3) एससीसी 90** के निर्णयों पर भरोसा किया। उन्होंने यह भी कहा कि गवाहों के साक्ष्य की सराहना करते समय यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या इसमें सच्चाई है। **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम.के. एंथनी (1995) 1 एससीसी 505** के फैसले पर भरोसा किया गया।

30. श्री मान ने दलील दी कि दिनांक 9 मार्च 2000 की टेलीफोन बातचीत की रिकॉर्डिंग वाली कैसेट (प्र.अभि. 2) न्यायालय में चलाई और अभि.सा.-3 ने उसमें ए से ए, बी से बी और सी से सी भाग बताकर इसे साबित किया। अपीलकर्ता द्वारा इस पर कोई आपत्ति नहीं की गई और इसलिए यह साक्ष्य अधिनियम, 1872 ('डक') की धारा 142 के तहत स्वीकार्य था। श्री मान के अनुसार, प्र.अभि.-2 की बातचीत स्पष्ट और सुनने योग्य थी और अभि.सा.3 ने वास्तव में अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान कहा था कि "पहले की गई टेप में दर्ज बातचीत बहुत स्पष्ट थी..."।

31. श्री मान ने आगे कहा कि अपीलकर्ता ने स्वयं अभि.सा.-3, 11 और 12 की प्रतिपरीक्षा करने के लिए प्रतिलिपि प्र.अभि.सा.-11/डीबी का उपयोग किया। उन्होंने अभि.सा.-11 की प्रतिपरीक्षा का भी उल्लेख किया, जहां उसने पुष्टि की कि प्रतिलिपि में बिंदु ए और सी पर उसके हस्ताक्षर हैं। यह प्रतिलिपि दिनांक

11 जून 2001 को *मालखाने* से कैसेट प्राप्त करने के बाद तैयार की गई थी। उन्होंने अभि.सा.-12 की प्रतिपरीक्षा का भी उल्लेख किया, जिसके दौरान अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पूछा था कि क्या अभि.सा.-12 ने प्रतिलिपि देखी है। श्री मान के अनुसार, उपर्युक्त प्रश्न के माध्यम से अपीलकर्ता ने न केवल प्रतिलिपि की सत्यता को स्वीकार किया है, बल्कि कैसेट में अपनी आवाज को भी स्वीकार किया है। उन्होंने दलील दी कि इस प्रकार स्वीकार किए गए और सिद्ध किए गए प्रतिलेख डक की धारा 157, 159 और 160 के अंतर्गत प्रासंगिक और स्वीकार्य थे।

32. श्री मान ने स्पष्ट किया कि टीसीआर में मौके पर जो रिकॉर्डिंग थी वह कैसेट प्र.अभि.-1 में थी और एमसीआर में जो रिकॉर्डिंग थी वह प्र.अभि.-3 थी। इसलिए केवल तीन कैसेट ही जब्त की गईं। जांच के उद्देश्य से प्र.अभि.-2 और प्र.अभि.-1 की प्रतियां रखी गईं और यह दोनों जब्ती जापनों में दर्शाया गया। सभी मूल कैसेट यानी प्र.अभि.-1, अभि.-2 और अभि.-3, न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। शेष तीन कैसेट केवल जांच के उद्देश्य से थे।

रिश्वत की मांग

33. प्र.अभि.-3 के सम्पूर्ण साक्ष्य को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उसके द्वारा बताई गई मांग के दो चरण हैं। अभि.सा.-3 का कहना है कि जब वह दिनांक 7 मार्च 2000 को अपने आयकर रिटर्न की जांच के संबंध में अपीलकर्ता से मिली, तो अपीलकर्ता ने अनुकूल जांच के लिए 75,000 रुपये की मांग की

थी और बातचीत के बाद यह राशि 50,000 रुपये पर तय हुई थी। हालांकि यह सच है कि उन्होंने अपनी शिकायत में सीए और श्री कृष्ण कुमार की भूमिका का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन अपीलकर्ता द्वारा 75,000 रुपये की मांग करने और बाद में इसे घटाकर 50,000 रुपये करने के आवश्यक तथ्य का उल्लेख उन्होंने अपनी शिकायत में किया है।

34. जहां तक मांग के दूसरे चरण का संबंध है, अर्थात् दिनांक 9 मार्च 2000 को प्र.अभि.-3 और अपीलकर्ता के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को प्र.अभि.-2 के रूप में चिह्नित कैसेट में रिकार्ड किया गया था। अपनी मुख्य परीक्षा में उन्होंने छापेमारी-पूर्व कार्यवाही और जापन सौंपने की पुष्टि की (प्र.अभि.सा. - 3/सी)। उन्होंने हस्तांतरण जापन(प्र.अभि.सा.-3/सी-1) के अनुलग्नकों की भी पुष्टि की, जिसमें जी.सी. नोट्स की संख्या शामिल थी। उन्होंने प्र.अभि.सा.-3/ए, टेलीफोन वार्तालाप-सह-रिकॉर्डिंग जापन को साबित किया। अभि.सा.-3 ने भी उस पर अपने हस्ताक्षरों की पहचान की। इस जापन को देखने से पता चलता है कि इसमें अभि.सा.-4 और 5 तथा निरीक्षक विवेक धीर के हस्ताक्षर हैं। इसमें दर्ज है कि दोनों अभि.सा.-4 और 5 की नमूना आवाज़ें क्रेडिट कार्ड टाइप ट्रांसमीटर की मदद से रिकॉर्ड की गई थीं। टेलीफोन सं. 4362460 की टेलीफोन लाइन में एक बग स्थापित कर दिया गया था और अभि.सा.-3 को अपीलकर्ता से टेलीफोन सं. 3316392 पर सम्पर्क करने का निर्देश दिया गया था। कॉर्ड की मदद से बातचीत सुनने के उद्देश्य से टीसीआर को अभि.सा.-5 को सौंप दिया

गया। ज्ञापन में दर्ज है कि अभि.सा.-3 ने उसे दिया गया सं. डायल किया और अपीलकर्ता से बात की। बातचीत को अभि.सा.-5 और ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य लोगों की मौजूदगी में एक साथ रिकॉर्ड किया गया। बातचीत के खत्म होने के बाद, कैसेट को फिर से चलाया गया और बातचीत से अभि.सा.-3 द्वारा अपीलकर्ता से रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। इसमें दर्ज किया गया कि अभि.सा.-3 ने अपीलकर्ता के आवाज़ पहचान की। अभि.सा.-5 ने भी उस बातचीत की पुष्टि की जिसे उसने डिवाइस में रिकॉर्ड किया था। इसके बाद कैसेट प्र.अभि. 2 को रिकॉर्डर से बाहर निकाला गया और दोनों गवाहों ने कैसेट पर चिपकाए गए कागज के पर्चे पर हस्ताक्षर किए। कैसेट की एक प्रति तैयार की गई तथा मूल प्रति को उसके कवर में रखकर सीबीआई की मुहर लगाकर सील कर दिया गया तथा सील को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु अभि.सा.-4 को सौंप दिया गया। बताया जाता है कि कार्यवाही सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और 11:45 बजे समाप्त हुई।

35. अपने मुख्य परीक्षण में अभि.सा.-3 ने कहा कि जब कैसेट प्र.अभि.2 में निहित बातचीत को उसकी उपस्थिति में चलाया गया तो वह “बहुत स्पष्ट और सुनने योग्य थी और मैंने अपनी आवाज के साथ-साथ राजेश गुप्ता की आवाज भी पहचान ली थी।” यद्यपि न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर प्र.अभि-2 स्पष्ट नहीं था, अभि.सा.-3 ने प्रतिलिपि से पहचाना कि बिंदु ए से ए, बी से बी तथा सी से सी पर उसकी तथा अपीलकर्ता की आवाज में बातचीत थी।

36. जहां तक प्र.अभि.1, टीसीआर की रिकॉर्डिंग वाले कैसेट का सवाल है, अभि.सा.-3 ने कहा कि "...अब उसे स्वतंत्र गवाह श्री चौहान और श्री प्रसाद के नाम याद हैं। बातचीत सुनने के बाद, गवाह ने कहा कि यह कैसेट प्र.अभि.1 वही है जो घटनास्थल पर रिकॉर्ड किया गया था और उसने कहा कि वह राजेश गुप्ता के साथ बात कर रही है लेकिन यह बताने में असमर्थ है कि उसके व राजेश गुप्ता के बीच क्या बातचीत चल रही है क्योंकि शोर है और राजेश गुप्ता बहुत धीमी आवाज में बोल रहे हैं और इस तरह, बातचीत सुनाई नहीं दे रही है।

37. जब अभि.सा.-4 से पूछताछ की गई तो वह अपने बयान से पलट गया कि टेलीफोन पर हुई बातचीत सुनने पर यह पुष्टि हो गई थी कि आरोपी द्वारा 75,000 रुपये की रिश्वत की मांग को घटाकर 50,000 रुपये कर दिया गया था। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि अपीलकर्ता ने अभि.सा.-3 को रिश्वत की रकम के साथ अपने कार्यालय में बुलाया था, जिसकी व्यवस्था उसके द्वारा की गई थी, जैसा कि कैसेट में दर्ज बातचीत से पता चला है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी आवाजें (अभि.सा.-4) और अभि.सा.-5 को एमसीआर के साथ-साथ नियमित कैसेट में भी रिकॉर्ड किया गया था। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा में, अभि.सा.-4 ने कहा कि सीबीआई कार्यालय में टेलीफोन के साथ उपकरण संलग्न करके टेलीफोन पर

बातचीत हुई थी। उस समय वह अपीलकर्ता को नहीं जानते थे, इसलिए वह उसकी आवाज नहीं पहचान सके।

38. अभि.सा.-5 ने पुष्टि की कि टेलीफोनिक बातचीत ज्ञापन प्र.अभि.सा.-3/ए सीबीआई कार्यालय में तैयार किया गया था तथा बिंदु सी पर उसके हस्ताक्षर थे। उन्होंने भी हस्तांतरण ज्ञापन प्र.अभि.सा.-3/सी की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि जब शिकायतकर्ता ट्रैप से पहले सीबीआई कार्यालय में आरोपी से बात कर रही थी, तो वह सीए राजीव जैन के बारे में बात कर रही थी। शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान मैंने शिकायतकर्ता द्वारा 50,000/- रुपये की बात के बारे में भी सुना, लेकिन दूसरी तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली, जो कह रहा था कि "आ जाइए, देख लेंगे"।

39. उस समय, वि.लो.अभि. ने गवाह से पूछताछ करने का अनुरोध किया क्योंकि वह अपने पहले के बयान से मुकर रहा था। अभि.सा.-5 ने पुष्टि की कि उसका पिछला कथन, प्र.अभि.सा.-5/ए, भाग ए से ए तक, सही ढंग से दर्ज किया गया था। उक्त अंश में लिखा है, "टेप में दर्ज बातचीत से पुष्टि हुई कि सहायक आयुक्त श्री राजेश गुप्ता द्वारा श्रीमती मधु बाला से 75,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसे बाद में घटाकर 50,000 रुपये कर दिया गया।" दूसरे शब्दों में, इस गवाह से यह स्पष्ट हो गया कि मांग घटाकर 50,000 रुपये कर दी गई थी। अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कहा कि "शिकायतकर्ता के साथ बातचीत से पता चला कि संदिग्ध व्यक्ति द्वारा श्री

राजीव जैन, सीए से पैसे की मांग की जा रही थी।"इसके बाद उन्होंने कहा, "मैंने ईयरफोन पर जो टेलीफोन पर बातचीत सुनी, उससे मैं यह कह सकता हूँ कि दूसरे पक्ष यानी आरोपी राजेश गुप्ता की ओर से पैसे की कोई मांग नहीं की गई थी।"

40. अभि.सा.-11 निरीक्षक सुरिंदर मलिक थे। प्रतिपरीक्षा के दौरान उनसे प्र.अभि.सा.-11/डीबी के बारे में पूछा गया और उन्होंने निम्नलिखित उत्तर दिए:

“मुझे याद नहीं कि मैंने प्रतिलिपि तैयार करने के लिए कैसेट सीएफएसएल को भेजा था या नहीं। मैं अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए केस डायरी नहीं देखना चाहता। यह कहना गलत है कि मैं जानबूझकर इस सवाल का जवाब देने से बच रहा हूँ। यह कहना गलत है कि कैसेट को चलाते समय वह सुनाई नहीं दे रहा था। शिकायतकर्ता और गवाह के अनुसार, कैसेट को बीच-बीच में चलाते हुए ही प्रतिलेखन टाइप किया गया था। प्रतिलेखन प्र.अभि.सा.-11/डीबी पर शिकायतकर्ता या किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं, लेकिन अंतिम पृष्ठ पर बिंदु-ए पर मेरे हस्ताक्षर हैं। प्रतिलेखन दिनांक 11.6.2001 को मालखाने से कैसेट प्राप्त करने के बाद तैयार किया गया था। दिनांक 26.9.2000 को न्यायालय से कैसेट की सील खोलने की अनुमति प्राप्त की गई थी। कैसेट खोलने और कार्यवाही के समय दोनों पंच गवाह मौजूद थे। यह कहना गलत है कि जांच के दौरान संबंधित कैसेट से छेड़छाड़ की गई थी।” (जोर दिया गया)

41. अभि.सा.-12 ने टेलीफोन पर हुई बातचीत और प्र.अभि.सा.-3/ए तैयार किए जाने के बारे में भी बताया। प्रतिपरीक्षा के दौरान उससे प्रतिलिपि प्र.अभि.सा.-11/डीबी के बारे में पूछा गया। उनके विशिष्ट उत्तर इस प्रकार थे:

“मैंने प्रतिलिपि प्र. अभि.सा.-11/डीबी देखी है। राजेश ने 50,000 रुपये, 75,0000 रुपये, 1 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये की राशि का उल्लेख करते हुए कोई विशेष उल्लेख नहीं किया है। यह निष्कर्ष प्रतिलेख के भाग X से X1 तक से निकाला जा सकता है। शिकायतकर्ता की नमूना आवाज़ मेरे द्वारा रिकॉर्ड नहीं की गई थी। यह कहना गलत है कि कथित रूप से जिस कैसेट में बातचीत थी, उसे तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था।”

(जोर दिया गया)

42. प्रतिलिपि प्र.अभि.सा.-11/डीबी के अवलोकन से पता चलता है कि इसे दिनांक 11 जून 2001 को तैयार किया गया था। श्री निगम ने दलील दी कि जब अपीलकर्ता ने उपरोक्त तिथि के बाद विचारण न्यायलय के समक्ष कैसेट की प्रति की मांग करते हुए आवेदन किया तो अभियोजन पक्ष ने यह तर्क दिया कि उस तिथि तक कोई प्रतिलिपि तैयार नहीं की गई थी और इसलिए प्रति उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। श्री निगम ने कहा कि यह समझ से परे है कि दिनांक 11 जून 2001 को ही प्रतिलिपि तैयार कर ली गई थी, लेकिन इस तथ्य का खुलासा विचारण न्यायलय को क्यों नहीं किया गया।

43. उपरोक्त दलीलें बेकार हैं, क्योंकि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दोनों अभि.सा.-11 और 12 का सामना करने के लिए प्र. अभि.सा.-11/डीबी का इस्तेमाल किया था। उनसे पूछा गया कि क्या प्रतिलिपि सही थी और उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया। जब अभि.सा.-3 ने कहा कि जब प्र.अभि. 2 को सीबीआई के कार्यालय में चलाया गया तो वह स्पष्ट सुनाई दे रहा था, लेकिन जब उसे न्यायालय में चलाया गया तो अपीलकर्ता की आवाज धीमी थी, तो उसका ध्यान प्रतिलिपि की ओर गया और उसने प्रतिलिपि के कुछ हिस्सों की पहचान की। प्रतिलिपि के पहले तीन पृष्ठों में प्र. अभि 2 का उल्लेख था जिसमें दिनांक 7 मार्च 2000 को रिकार्ड की गई बातचीत शामिल थी। विद्वान वि.लो.अभि. के इस तर्क में दम है कि उक्त प्रतिलिपि को स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने और अभि.सा. 11 और 12 को इसके साथ सामना कराने से अपीलकर्ता को इस स्तर पर उक्त प्रतिलिपि की स्वीकार्यता को चुनौती देने से रोका जा सकेगा।

44. हालाँकि अभि.सा.-4 और 5 इस बात पर झिझकते दिखते हैं कि क्या उन्होंने अपीलकर्ता को कोई मांग करते हुए सुना था, लेकिन प्रतिलिपि के पहचाने गए हिस्सों से यह स्पष्ट है कि जब अभि.सा.-3 ने कहा "सर तो अब पचास तो हो जाएंगे ना सर पचास, सर प्लीज सर वो तो मैं फिर ले के आ सकती हूँ" तो अपीलकर्ता ने जवाब दिया "चलिए आप आइए"। फिर उसने पूछा कि उसे कब आना चाहिए, तो उसने कहा कि उसे दोपहर 3 बजे के आसपास

आना चाहिए। जब उसने पूछा कि क्या वह शाम 4 बजे तक आ सकती है, तो अपीलकर्ता ने सहमति जताई। यद्यपि अपीलकर्ता ने स्वयं राशि निर्दिष्ट नहीं की थी तथा यह अभि.सा.-3 था जो राशि का सुझाव दे रहा था, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता पहले से की गई मांग का उल्लेख कर रहा था तथा वह राशि को घटाकर 50,000 रुपये करने पर परोक्ष रूप से सहमत था।

बातचीत की टेप रिकॉर्डिंग

45. दिनांक 9 मार्च 2000 को हुई बातचीत की टेप रिकॉर्डिंग के साक्ष्य मूल्य के संबंध में, ***नीलेश दिनकर पराडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 4 एससीसी 143*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने ***राम सिंह बनाम कर्नल राम सिंह 1985 पूरक एससीसी 611*** में अपने पहले के निर्णय का उल्लेख किया, जहां यह कहा गया था:

“(1) वक्ता की आवाज़ को रिकॉर्ड बनाने वाले या उसकी आवाज़ को पहचानने वाले अन्य लोगों द्वारा विधिवत पहचाना जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह स्पष्ट रूप से तार्किक परिणाम के रूप में इस प्रकार है कि इस तरह के बयान की स्वीकार्यता के लिए पहली शर्त वक्ता की आवाज़ को पहचानना है। जहां निर्माता द्वारा आवाज़ को अस्वीकार कर दिया गया हो, वहां यह निर्धारित करने के लिए बहुत सख्त प्रमाण की आवश्यकता होगी कि क्या यह वास्तव में वक्ता की आवाज़ थी या नहीं।

(2) टेप-रिकॉर्ड किए गए बयान की सत्यता को रिकॉर्ड बनाने वाले को संतोषजनक साक्ष्य व प्रत्यक्ष या परिस्थिति के द्वारा साबित करना होगा।

(3) टेप-रिकॉर्ड बयान के किसी भाग के साथ छेड़छाड़ या उसे मिटाने की हर संभावना को खारिज किया जाना चाहिए अन्यथा यह उक्त बयान को संदर्भ से बाहर कर देगा और इसलिए अस्वीकार्य हो जाएगा।

(4) बयान साक्ष्य अधिनियम के नियमों के अनुसार प्रासंगिक होना चाहिए।

(5) रिकॉर्ड किए गए कैसेट को सावधानीपूर्वक सील किया जाना चाहिए और सुरक्षित या आधिकारिक हिरासत में रखा जाना चाहिए।

(6) वक्ता की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई देनी चाहिए और अन्य ध्वनियों या व्यवधानों के कारण खोई या विकृत नहीं होनी चाहिए।"

46. उपरोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **आर्चबोल्ड क्रिमिनल प्लीडिंग्स, एविडेंस एंड प्रैक्टिस** (2010 संस्करण) के अध्याय 14 का संदर्भ भी दिया गया था, जहां आवाज की पहचान के लिए विचार किए जाने वाले कारकों का उल्लेख किया गया था:

“(क) विवादित आवाज़ की रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता,

(ख) श्रोता द्वारा ज्ञात आवाज सुनने और विवादित आवाज को पहचानने के उसके प्रयास के बीच का समय अंतराल;

(ग) सामान्य रूप से आवाज़ों को पहचानने की व्यक्ति की क्षमता (शोध से पता चलता है कि यह व्यक्ति दर व्यक्ति अलग-अलग होती है),

(घ) भाषण की प्रकृति और अवधि जिसे पहचाना जाना है, और

(ङ) ज्ञात आवाज के साथ श्रोता की परिचितता; और यहां तक कि परिचित आवाज को श्रोता द्वारा आत्मविश्वास से पहचानना भी गलत हो सकता है।”

47. टेप में दर्ज बातचीत केवल पुष्टिकारक हो सकती है, ठोस सबूत नहीं।

महाबीर प्रसाद वर्मा बनाम डॉ. सुरिंदर कौर (1982) 2 एससीसी 258 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या की थी।

“22.टेप-रिकॉर्डेड बातचीत पर केवल बातचीत के किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के रूप में ही भरोसा किया जा सकता है और ऐसी किसी भी बातचीत के साक्ष्य के अभाव में, टेप-रिकॉर्डेड बातचीत वास्तव में कोई उचित साक्ष्य नहीं है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

48. वर्तमान मामले में अपीलकर्ता की आवाज या तो रिकार्ड बनाने वाले द्वारा या उसकी आवाज को पहचानने वाले अन्य लोगों द्वारा पहचानी जा सकती है। अभि.सा.-3 और अपीलकर्ता दोनों की आवाज़ें अभि.सा.-3 द्वारा विधिवत पहचान ली गई हैं। वह अपीलकर्ता की आवाज़ से परिचित थी क्योंकि वह उससे पहले भी मिल चुकी थी। इसके बाद जहां तक टेप में दर्ज बातचीत की सत्यता का सवाल है, जब प्र.अभि.2 को सीबीआई के कार्यालय में चलाया गया तो वह

स्पष्ट और सुनने योग्य थी। अभि.सा.-3 को उस पहलू पर प्रतिपरीक्षा में भटकाया नहीं जा सका। हालाँकि न्यायालय में टेप चलाने पर वह सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन अभि.सा.-3 प्रतिलिपि से बातचीत को पहचानने में सक्षम था। प्रतिपरीक्षा के दौरान दोनों अभि.सा.11 और 12 के समक्ष रखे गए विशिष्ट सुझाव के जवाब में, दोनों ने इस बात से इनकार किया कि प्र.अभि. 2 के साथ छेड़छाड़ की गई थी।

49. यदि अभि.सा.-4 अपने बयान से पलट गया तो भी प्र.अभि.सा.-3/ए के आधार पर अभि.सा.-5 की जांच से यह स्पष्ट है कि उसने मांग की राशि 75,000 रुपये से घटाकर 50,000 रुपये किये जाने की पुष्टि की थी। परिणामस्वरूप, अभि.सा.-4 और 5 के प्रतिपरीक्षा में दिए गए बयानों को जब उनकी मुख्य परीक्षा में दिए गए बयानों से मिलाया गया तो यह निष्कर्ष निकला कि उनके बयानों के उस हिस्से की पुष्टि हुई है जो अभियोजन पक्ष के मामले का पूर्ण समर्थन करता है।

50. *गुरा सिंह बनाम राजस्थान राज्य 2001 में क्रि. एलजे 487* में यह अभिनिर्धारित किया गया था:

“11. ऐसा प्रतीत होता है कि किसी गवाह को पक्षद्रोही घोषित करने से उसकी गवाही पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में गलत धारणा है। यह एक गलत धारणा है कि केवल इसलिए कि किसी गवाह को प्रतिकूल घोषित कर दिया गया है, उसके पूरे साक्ष्य को खारिज कर दिया जाना

चाहिए या विचार के अयोग्य माना जाना चाहिए। *भगवान सिंह बनाम हरियाणा राज्य 1976 क्रि एलजे 203* में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल इसलिए कि न्यायालय ने लोक अभियोजक को अपने ही गवाह को प्रतिपक्षी गवाह बताते हुए उससे प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दे दी, इससे उसका साक्ष्य पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता। यह साक्ष्य विचारण में स्वीकार्य है और ऐसे गवाह की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि पर कोई कानूनी रोक नहीं है। *रवीन्द्र कुमार डे बनाम उड़ीसा राज्य 1977 क्रि एलजे 173* में यह देखा गया कि प्रतिपरीक्षा की अनुमति देने से गवाह की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला कोई मामला तय नहीं होता है और गवाह केवल अपने पक्षद्रोही घोषित कर देने से अविश्वसनीय नहीं हो जाता है। केवल इस आधार पर उसकी पूरी गवाही को विचार से बाहर नहीं रखा जा सकता। किसी आपराधिक विचारण में, जहां अभियोजन पक्ष के गवाह से प्रतिपरीक्षा की जाती है और साक्ष्य के लिए उसे बुलाने वाले पक्ष द्वारा न्यायालय की अनुमति का खंडन किया जाता है, तो सामान्य नियम के रूप में, उसे रिकॉर्ड से पूरी तरह से हटा हुआ नहीं माना जा सकता। प्रत्येक मामले में यह तथ्य विचारणीय है कि क्या इस प्रकार की प्रतिपरीक्षा और विरोधाभास के परिणामस्वरूप गवाह की साख गिर गई है या फिर उसकी गवाही के किसी भाग पर अभी भी विश्वास किया जा सकता है। उचित मामलों में न्यायालय ऐसे गवाह की गवाही के उस भाग पर भरोसा कर सकता है, यदि बयान का वह भाग विश्वसनीय पाया जाता है।"

51. इसलिए, न्यायालय अपीलकर्ता के इस निवेदन से सहमत नहीं है कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह उचित संदेह से परे साबित नहीं किया गया कि

अपीलकर्ता द्वारा अभि.सा.-3 से अवैध परितोषण की मांग की गई थी और मांग को 75,000 रुपये से घटाकर 50,000 रुपये कर दिया गया था। यह तथ्य कि अभियोजन पक्ष ने संभवतः सीए या श्री कृष्ण कुमार से पूछताछ नहीं की है, दिनांक 9 मार्च 2000 की वास्तविक टेप में दर्ज बातचीत को प्रतिलिपि में बदल दिए जाने के प्रकाश में महत्वहीन हो जाता है, जिसका उपयोग अभियुक्तों द्वारा अभि.सा.-11 और 12 से सामना कराने के लिए किया गया है।

रिश्वत की स्वीकृति

52. एक बार रिश्वत की मांग साबित हो जाने के बाद अभियोजन पक्ष के लिए अपीलकर्ता द्वारा 15,000 रुपये स्वीकार करने को साबित करना ज़रूरी हो गया। यहां भी अभि.सा.-3 का साक्ष्य महत्वपूर्ण है। जब वह उसके कमरे में दाखिल हुई तो अभि.सा.-3 ने अपीलकर्ता को बताया कि वह 15,000 रुपए लेकर आई है, जिस पर उसने एक कागज का पन्ना फाड़कर इशारे से उससे कहा कि वह नोट उसमें रख दे। जहाँ तक दोनों के बीच हुई बातचीत का सवाल है, न्यायालय में प्र.अभि. 1 द्वारा चलाया गया कैसेट सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिए अभियोजन पक्ष का मामला दूसरे सबूतों पर टिका हुआ था।

53. अपीलकर्ता के तर्क का मुख्य जोर इस बात पर रहा है कि मामले की संपत्ति, अर्थात् कैसेट और हैंड वॉश की अभिरक्षा की श्रृंखला स्थापित नहीं की गई है, क्योंकि कोई लिंक साक्ष्य नहीं है। जहां तक दिनांक 9 मार्च 2000 की टेलीफोन बातचीत वाले प्र.अभि. 2 की सुरक्षित अभिरक्षा का सवाल है, दोनों

अभि.सा.11 और 12 ने इस बात से इनकार किया कि इसमें छेड़छाड़ की गई थी। जहां तक एमसीआर का प्रश्न है, जिसे अपीलकर्ता और अभि.सा.-3 के बीच बैठक के समय उपयोग करने का सुझाव दिया गया था, यह स्पष्ट था कि अभि.सा.-3 इसे सक्रिय करना भूल गया था। जहां तक स्वचालित टीसीआर का प्रश्न है, बातचीत अत्यधिक शोर के कारण सुनाई नहीं दे रही थी।

54. हालांकि यह सच है कि अपीलकर्ता के हाथ धोने पर उसका रंग गुलाबी नहीं हुआ, लेकिन सीएफएसएल रिपोर्ट के रासायनिक प्रभाग ने संकेत दिया है कि टीएलसी परीक्षण में सोडियम कार्बोनेट घोल में फिनोलफथैलिन की उपस्थिति पाई गई। इस बात को लेकर कई अनुत्तरित प्रश्न हैं कि कपास के टुकड़े में सोडियम कार्बोनेट नहीं था, हालांकि माना जाता है कि इसे इसमें डुबोया गया था। ये विसंगतियां अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को हिला नहीं पातीं। अभि.सा.-3 का कथन कि उससे 15,000 रुपये एक फटे हुए कागज में रखने को कहा गया था, बिना अपीलकर्ता के द्वारा छुए, वास्तव में इस बात से मेल खाता है कि जब मौके पर उसके हाथ धोए गए तो वे गुलाबी नहीं हुए थे। यह बात न केवल अभि.सा.-3 द्वारा कही गई है, बल्कि अभि.सा. 4, 5 और 12 द्वारा भी कही गई है।

55. अपीलकर्ता को झूठा फंसाने के लिए अभि.सा.-3 को 15,000 रुपये अपने साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभि.सा.-3 के बयान की सत्यता इस तथ्य से भी प्रमाणित होती है कि जब ट्रैप टीम कमरे में दाखिल हुई तो उसने

ही बताया था कि संसाधित नोट कहां हैं। उनका कथन स्वाभाविक और संभावित दोनों ही प्रतीत होता है और इसमें सच्चाई की झलक मिलती है। जैसा कि **स्टेट ऑफ यूपी बनाम एम.के. एंथनी (1995) 1 एससीसी 505** में बताया गया है:

“गवाह के साक्ष्य की सराहना करते समय, दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि क्या गवाह के साक्ष्य को समग्र रूप से पढ़ने पर उसमें सत्यता की झलक मिलती है। एक बार जब यह धारणा बन जाती है, तो निस्संदेह न्यायालय के लिए साक्ष्य की अधिक गहन जांच करना आवश्यक हो जाता है, विशेष रूप से साक्ष्य में बताई गई कमियों, दोष और दुर्बलताओं को ध्यान में रखते हुए व उनका मूल्यांकन करना आवश्यक है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या यह गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य के सामान्य स्वरूप के विरुद्ध है तथा क्या साक्ष्य का पूर्व मूल्यांकन इस हद तक दोषपूर्ण है कि वह विश्वास करने योग्य नहीं है। मामले के मूल को न छूने वाली तुच्छ बातों पर छोटी-मोटी विसंगतियां, साक्ष्य से यहां-वहां संदर्भ से हटकर वाक्यों को लेकर अति-तकनीकी दृष्टिकोण, मामले की जड़ तक न जाकर जांच अधिकारी द्वारा की गई कुछ तकनीकी त्रुटि को महत्व देना, सामान्यतः पूरे साक्ष्य को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं देता।

56. परिणामस्वरूप, भले ही सीएफएसएल रिपोर्ट, हाथ धोने के निशान और उंगलियों के निशान अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते प्रतीत न हों, अभि.सा.-3 का साक्ष्य ठोस तथा विश्वसनीय दोनों है व इसे अपीलकर्ता द्वारा

रिश्वत की राशि स्वीकार करने के तथ्य को साबित करने के रूप में सुरक्षित रूप से स्वीकार किया जा सकता है।

पी. सी. अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान

57. एक बार रिश्वत की मांग और स्वीकृति साबित हो जाने पर धारा 20 पीसी अधिनियम के तहत अभियोजन चलाया जाएगा। **एम. नरसिंह राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2001) एससीसी 691** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पी.सी. अधिनियम की धारा 20 पर विस्तृत चर्चा की गई है और उस संदर्भ में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:

“17. अनुमान किसी निश्चित तथ्य का अन्य सिद्ध तथ्यों से निकाला गया निष्कर्ष है। किसी तथ्य से दूसरे तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगाते समय, न्यायालय केवल बुद्धिमत्तापूर्ण तर्क की प्रक्रिया का प्रयोग कर रहा होता है, जो एक विवेकशील व्यक्ति का मस्तिष्क समान परिस्थितियों में करता। अनुमान अन्य तथ्यों से निकाला जाने वाला अंतिम निष्कर्ष नहीं है। लेकिन अगर बाद में भी इसमें कोई बदलाव न किया जाए तो यह अंतिम हो सकता है। साक्ष्य कानून में अनुमान एक नियम है जो सबूत के बोझ को स्थानांतरित करने के चरण को इंगित करता है। किसी निश्चित तथ्य या तथ्यों से न्यायालय निष्कर्ष निकाल सकता है और यह निष्कर्ष तब तक बना रहेगा जब तक कि ऐसे अनुमान को अस्वीकृत या खारिज नहीं कर दिया जाता।”

58. यह निश्चित रूप से अपीलकर्ता के लिए संभावनाओं की प्रधानता पर अनुमान का खंडन करने के लिए स्पष्ट था। न्यायालय के सुविचारित मत के अनुसार, अपीलकर्ता पीसी अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत वैधानिक अनुमान का खंडन करने में असमर्थ रहा है। धारा 20 के तत्व वर्तमान मामले में संतुष्ट हैं। अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत की राशि की मांग की गई तथा उसे स्वीकार भी किया गया।

दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता से सवाल

59. इस पहलू पर न्यायालय को एक और दलील पर विचार करना है कि अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत जांच के दौरान उसके खिलाफ सभी दोषपूर्ण साक्ष्य पेश नहीं किए गए। इस संबंध में ***सुजीत बिस्वास बनाम असम राज्य (2013) 3 जेसीसी 1887*** और ***शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116*** के निर्णयों पर भरोसा किया गया। श्री निगम ने दलील दी कि यह तथ्य कि अभि.सा.-3 के सीए ने अपीलकर्ता से मुलाकात की थी या यह तथ्य कि वह अपने कर्मचारी श्री कृष्ण कुमार के साथ अपीलकर्ता से मिलने आई थी, दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत उनके समक्ष नहीं रखा गया था और इसलिए अभि.सा.-3 के पूरे साक्ष्य को बाहर रखा जाना चाहिए।

60. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, यदि अभि.सा.-3 के उपरोक्त कथनों को ध्यान में न भी लिया जाए, तो भी तथ्य यह है कि दिनांक 9 मार्च 2000

को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान अभि.सा.-3 द्वारा रिश्वत की कम राशि लाने की पेशकश को अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया जाना अभियोजन पक्ष द्वारा संतोषजनक रूप से साबित कर दिया गया है। इसलिए, अपीलकर्ता के समक्ष अभि.सा.-3 के साक्ष्य के उपरोक्त पहलुओं को प्रस्तुत न करने से अपीलकर्ता को किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं हुआ है। अपीलकर्ता के विरुद्ध मामला तथा विशेष रूप से दिनांक 9 मार्च, 2000 की टेलीफोनिक बातचीत से संबंधित परिस्थितियां उसके समक्ष रखी गई हैं। यह अलग बात है कि उन्होंने उक्त बातचीत से इनकार किया है।

स्वीकृति आदेश की वैधता

61. अंत में मंजूरी देने के पहलू पर यह तर्क दिया गया कि मंजूरी देने वाले आदेश में पीसी अधिनियम की धारा 19 (1) (क) के बजाय पीसी अधिनियम की धारा 19 (1) (ग) का उल्लेख करना मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा बुद्धिमत्ता का उपयोग नहीं करने को दर्शाता है। इसके अलावा, स्वीकृति प्राधिकारी के अनुसार, अपीलकर्ता को रंगे हाथों पकड़ा गया था, जबकि अभियोजन पक्ष का मामला ऐसा था ही नहीं। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि मसौदा स्वीकृति आदेश सतर्कता विभाग द्वारा तैयार किया गया था तथा स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा केवल उसकी प्रतिलिपि बनाई गई थी।

62. यह सही है कि अभि.सा.-1 ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि स्वीकृति आदेश की अधिकांश भाषा सतर्कता विभाग द्वारा दिए गए निर्देशन

स्वीकृति आदेश के अनुरूप थी। हालाँकि, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि अभि.सा.-1 ने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नहीं किया था। शब्द 'रंगे हाथ' संभवतः इस तथ्य के संदर्भ में था कि एक जाल बिछाया गया था जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को पकड़ा गया तथा गिरफ्तार कर लिया गया। जहां तक पीसी अधिनियम के सही प्रावधानों का उल्लेख न करने का सवाल है, स्थापित कानून यह है कि सही प्रावधानों का उल्लेख न करने मात्र से आदेश अवैध नहीं हो सकता *(सी.एस. कृष्णमूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य (2005) 4 एससीसी 81)*। किसी भी स्थिति में, पीसी अधिनियम की धारा 19 (3) (क) के साथ 19 (4) में कहा गया है कि दोष के किसी भी निष्कर्ष को केवल मंजूरी आदेश में किसी त्रुटि या अनियमितता के आधार पर उलट नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि न्याय में विफलता हुई थी। न्यायालय यह मानने के लिए सहमत नहीं है कि धारा 19 (1) (क) के बजाय मंजूरी आदेश में धारा 19 (1) (सी) पीसी अधिनियम का उल्लेख करने से अपीलकर्ता के संबंध में न्याय में कोई विफलता हुई है।

63. न्यायालय को आक्षेपित निर्णय या विचारण न्यायालय द्वारा पारित सजा के आदेश में कोई कानूनी कमी नहीं मिली। इसलिए अपील खारिज की जाती है। अपीलकर्ता अब शेष सजा काटने के लिए तुरंत आत्मसमर्पण करेगा।

न्या. एस. मुरलिधर,

25 मार्च, 2014

डीएन

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।